कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–720/3298 रायपुर, दिनांक 04/10/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.-reg.**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Other/27773/2017

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्र/मा.चि/ 2423 दिनांक 07.09.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पायी गई, जो निम्नानुसार हैं:

1. कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. वन मंडलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo – referenced map एवं Survey of India Toposheet हस्ताक्षरित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है।
3. आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर, कांकेर का प्रमाण पत्र संलग्न है तथा अनुवर्ती पृष्ठो में ग्राम सभा नवागांव की वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है किन्तु प्रस्ताव के साथ sub division committee का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।
4. पालीटेक्निक निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र site specific है। अतः कलेक्टर जिला कांकेर से प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करे।
5. .kml file के परीक्षण में पाया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण कार्य दिख रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। आपके द्वारा उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये। यदि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया जाये।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर अपना स्पष्टीकरण सहित 07 दिवस के भीतर जानकारी प्रेषित करे।

संलग्नः प्रस्ताव मूलतः

(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/3299 रायपुर, दिनांक 04/10/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **कलेक्टर**, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. **प्राचार्य**, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़